करता हूं। श्रीमन मेरा गांव यहां से 45 –50 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव में बेहद बढ़िया किस्म की जमीन है और दिल्ली के आसपास डेढ़ सौ किलोमीटर के इलाके में नदी के आसपास एक दो किलोमीटर के स्ट्रेच को छोड़ कर बाकी बहुत उम्दा किस्म की जमीन है। अगर यह योजना लागू की गयी तो अनाज पैदा करने वाली सबसे बेहतरीन जमीनें खत्म हो जायेंगी और उनमें तमाम तरह के अनियोजित किस्म के मकान बन जायेंगे। किसानों को मुआवजा एक रुपये मिलेगा और दो हजार रुपये में वह जमीन बिकेगी। वे बेघरवार हो जायेंगे। करीब एक हजार किलोमीटर का सारा इसका इलाका बैठेगा। ये तमाम लोग उजड़ जायेंगे, खत्म हो जायेंगे। इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि आज दिल्ली मैनेजेबुल नहीं है। जितनी बड़ी दिल्ली है इसके लिए दूध की किल्लत है, पानी की किल्लत है। जैसे बाहर से विजेता आता था और वह तमाम लोगों को परास्त करता हुआ जमीनों पर कब्जा करता हुआ चला जाता था वैसे ही शहर चलाने वाले लोगों का, देश के चलाने वाले लोगों का उसूल हो गया है। आप जबरदस्ती खेती की जमीन पर लोगों को बसाते चले जायेंगे। यमुना नहर सिंचाई के लिए थी उसका पानी जबरन ले लिया गया शाहदरा के लोगों को पिलाने के लिए। अगर इतनी बड़ी दिल्ली विकसित करेंगे तो फिर न पानी मिलेगा न दूध मिलेगा, न बिजली मिलेगी और अगर मिलेगी भी तो ग्रामीणों की कास्ट पर मिलेगी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि इतना बड़ा अर्बन जंगल हो जायेगा कि उसमें क्राइम पनपेंगे, डिमारेलाइजेशन होगा और तमाम तरह की व्याधियां पैदा होंगी तथा यह करोड़ों की आबादी का सारा इलाका भ्रष्ट लोगों का, पतित लोगों का इलाका बन जायेगा। तो श्रीमन, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कम्युनिस्ट मुल्कों में है कि शहरों की एक सीमा हो गयी है कि इसके आगे शहर नहीं बनेंगे और विकास होगा तो गांवों में होगा तहसील में होगा और गांवों के नजदीक विकास नहीं होगा, सारे उद्योग धंधे शहरों में नहीं पहुंचेंगे, वैसे ही यहां भी होना चाहिए।

जब आप राजधानी के लिए ही नीति नहीं बनाएंगे तो फिर सारे देश के गाव उजड़ जायेंगे और लोग वहां से भाग जायेंगे। इसको रोका जाये और कम से कम टाउन प्लानिंग के सारे विशेषज्ञों को बुलाकर बैठकर यह तय हो कि क्या करना चाहिए। सारे रोजगार शहरों में क्यों जा रहे हैं और जिन इलाकों के लोगों से इस योजना का ताल्लुक है वहां के एम० पीज० एम० एल० एज० और वहां के नुमाइंदों को बुला करके इस पर बिचार किया जाये तब ही इस पर कोई कदम शुरू किया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस योजना को फिलहाल रोकें और दिल्ली की जो बढ़ती हुई बदसूरत शक्ल है इसको रोकने की कोशिश कीजिए तथा सही तरीके से टाउन प्लानिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now, special mention by Shri Ramsinghbhai Pataliyabhai Rathvakoli—not here. Now the Messages from Lok Sabha, Yes, Mr. Secretary-General.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1984.

II. The Payment of Gratuity (Second Amendment) Bill, 1984

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha,

signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1984, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th April, 1984."

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Payment of Gratuity (Second Amendment) Bill, 1984, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th April, 1984."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAHMAT ALI): The House stands adjourned till 11 a.m. on Monday, the 30th April, 1984.

The House then adjourned at thirty-three minutes past five of the clock, till eleven of the clock, on Monday, the 30th April, 1984.